न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 20/2005 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2005/00005

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र लच्छीराम जाति ब्राहम्ण निवासी राघव कालोनी वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. दुलारी पुत्री लच्छीराम पत्नी रामजीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी सेवला विरेठा पोस्ट मिलकपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामदेई (मृतक)
2. तेज सिंह पुत्र भौरयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी प्लाट नं0 139 रणजीत नगर भरतपुर।
3. रामस्वरूप पुत्र भौरयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी गोपालजी मंदिर के पास कस्बा वैर जिला भरतपुर।
4. कमलनयन पुत्र भौरयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी 158 कृष्णा नगर कालोनी रवि गैस के सामने भरतपुर।
5. अशरफी पुत्री भौरयालाल पत्नी शिवचरन जाति ब्राहम्ण निवासी बुन्देला का नगला तहसील बयाना जिला भरतपुर।
6. विद्या देवी (मृतक)
   6/1. कुसुम पत्नी तारा उर्फ विष्णु } जाति ब्राहम्ण निवासी खेडली वार्ड संख्या 02 तहसील
   6/2. विपिन पुत्र तारा उर्फ विष्णु } कठूमर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर दि0 04.04.2005 प्र.सं. 26/2000 उनवानी भौरया बनाम बाबूलाल वगै0।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी उपस्थित ।

निर्णय दिनांक–23.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी इस आशय

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम वैर तहसील वैर में स्थित है, जो कि रैस्पो0/वादी व अपीलाण्ट/प्रतिवादी को पट्टे के आधार पर पट्टा कुनन्दा(सीर सरकार) श्री ठाकुर गजेन्द्र सिंह की ओर से दिनांक 24.06.1968 को दी गयी थी, तभी से रैस्पो0/वादी एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी अपने निस्फ–निस्फ हिस्से के अनुसार संयुक्त रूप से कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी/अपीलाण्ट के नाम, विवादित आराजी में निहित उसके हिस्से से अधिक इन्द्राज हो रखें हैं, जो खिलाफ मौका हैं। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी से वादी/रैस्पो0 को बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 23.08.1979 को प्रारम्भिक डिक्री करते हुए, तहसीलदार वैर से कुर्रे प्रस्ताव तलब किये गये। उक्त प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 15.01.1986 को खारिज की गयी। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के उक्त आदेश की द्वितीय अपील अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में की गयी, जो दिनांक 05.07.1994 से खारिज हुई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.08.1979 को बहाल रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णयों की पालना में तहसीलदार वैर से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करते हुए, अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2005 से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रकरण के तथ्यों व विधिक प्रावधानो के विपरीत है, जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार वैर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिये नियुक्त किया था। तहसीलदार वैर का यह कर्तव्य था कि वह पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर एवं स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करते। किन्तु तहसीलदार वैर ने ना तो पक्षकारान को कोई सूचना ही दी एवं ना ही स्वयं मौके पर गये। पटवारी हल्का ने रैस्पो0/वादी से साज कर मनमाने तरीके से विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किये गये हैं, जो विधि सम्मत नहीं है। उक्त कुर्रे प्रस्तावों पर अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 19.03.05 को आपत्ति भी पेश की गयी कि खसरा नम्बर 225,226,229 की डौल–मैड एक ही है, अलग–अलग खसरा नम्बरान की डौल से विभाजित नहीं हो रहें हैं, अर्थात तीनों नम्बरान की आराजी आपस में मिली हुई है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कुर्रे प्रस्ताव आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं की गयी एवं अपीलाधीन आदेश में मात्र यह अंकित कर दिया कि प्रकरण पुराना है जिसकी प्रारम्भिक डिक्री पूर्व में हो गयी थी। अपीलाण्ट प्रकरण को देरीना करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपने तर्को के समर्थन में आर0आर0डी0 2017 पेज 679 का हवाला देते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाने तथा प्रकरण पुनः विधिसम्मत विभाजन प्रस्ताव तलब कर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाना का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। तहसीलदार द्वारा कुर्रे प्रस्ताव बाबत् सभी पक्षकारो को पूर्व सूचना दी जाकर, पक्षकारो की सहमति एवं मौजूदगी में स्वयं ने विभाजन प्रस्ताव तैयार किये हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय ने कुर्रो को गहनता से अवलोकन करते हुए विभाजन के नियमों को ध्यान में रखकर, पक्षकारो की सहमति से, अच्छी में सें अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का सही बॅटवारा किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रेजात प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रे प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं एवं उक्त कुर्रेजात प्रस्तावों पर किसी भी पक्षकार की सहमति एवं गवाहो के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं एवं ना ही उप विभाजित भूमि का नजरी नक्शा ही तैयार किया गया है। नियमानुसार विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। आर0आर0डी0 2017 पेज 679 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन हेतु प्रस्तावो का तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण व जोतों के विभाजन हेतु प्रपोजल तैयार करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी, का पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए एवं प्रत्येक हिस्से पर लगान कायम कर, पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2005 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार से कुर्रे तलब करते हुए, उसे निर्देश देवें की सभी पक्षकारो को सूचित कर विभाजन के नियमों अनुसार पुनः कुर्रेजात रिर्पोट स्वयं तैयार करें एवं कुर्रेजात पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विधि अनुसार निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.06.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official